न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रमेश कुमार आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 85 / 2023
निर्णय दिनांक : 01.02.2024
GCMS NO : 2023/170 दायर दिनांक – 13.10.2023

भंवरूराम पुत्र स्व. उमाराम जाति जाट निवासी ग्राम मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

................वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................प्रतिवादी

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री महेश शर्मा एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खसरा संख्या 206 तादादी 4.2613 हैक्टेयर व खसरा संख्या 383 तादादी 11.8484 हैक्टेयर रोही मौजा मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ के संयुक्त व अविभाजित खातेदारी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज स्थिति है, जिसमें प्रार्थी का 1/8 हिस्सा है जो प्रार्थी के कब्जे, अधिकार, उपयोग व उपभोग के है। प्रार्थी के पिता उमाराम के स्वर्गवास होने के बाद उपरोक्त भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थी व उसके परिवार के विरासतन दर्ज हुआ, जिसमें प्रार्थी का घर में बोलता नाम भंवराराम लिखा दिया गया, जबकि प्रार्थी का सही व दस्तावेजी नाम भंवरूराम है, जो कि उसके समस्त दस्तावेज आधार–कार्ड, परिवार राशन कार्ड , जन–आधार कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र व बैंक पास बुक आदि में भंवरूराम ही दर्ज है।

यह कि प्रार्थी को सरकारी मुआवजा, ऋण लेते समय दस्तोवजी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी को आवश्यक हो गया कि वो अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू
सत्यमेव जयते

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत में वादी का नाम भंवराराम पुत्र उमाराम दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम भंवरूराम पुत्र उमाराम है। भंवरूराम व भंवराराम दोनों एक ही व्यक्ति हैं अलग–अलग नहीं है। अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भंवरूराम पुत्र उमाराम किया जाना उचित है।

वादी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पास बुक्स की प्रति. तथा राशन कार्ड की प्रतिलिपि आदि दस्तावेजात में भी वादी का नाम भंवरूराम पुत्र उमाराम अंकित है। कार्यालय ग्राम पंचायत मून्दड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांकित 06.09.2023 ने भी वादी का नाम भंवरूराम पुत्र उमाराम होना प्रमाणित किया है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, सरपंच ग्राम पंचायत मुन्दड़ा पंचायत समिति सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 206 रकबा 4.2613 हैक्टेयर व खसरा संख्या 383 रकबा 11.8484 हैक्टेयर रोही मौजा मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित में वादी का नाम भंवराराम पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी मुन्दड़ा खातेदार के स्थान पर भंवरूराम पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी मुन्दड़ा खातेदार दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

रमेश कुमार
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़